बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–11न०वि० RERA विविध–08/2018...645.......न०वि०आ०वि०, पटना, दिनांक–09/09/2020

बिहार भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2017 के नियम–29(3) में अंकित प्रावधान के अनुसार भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्त्त एतद् द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है –

(i). बिहार भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में उनके सेवा शर्त्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मँहगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते न्यायाधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व अध्यक्ष द्वारा धारित पद के विरूद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

(ii). बिहार भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य को इस पदावधि के अन्तराल में वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ, नियमित सेवा में होने की स्थिति में उनके सेवा शर्त्त के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति के उपरान्त न्यायाधिकरण के सदस्य के वेतन का निर्धारण अन्तिम "मूल वेतन घटाव मूल पेंशन" के आधार पर किया जायगा, जिस पर समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मँहगाई भत्ता अनुमान्य होगा। अन्य भत्ते एवं सेवा शर्त्त, सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित पद के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

परन्तु, वेतन तथा भत्ते न्यायाधिकरण में नियुक्ति के ठीक पूर्व सदस्य द्वारा धारित पद के विरूद्ध अनुमान्य वेतन/पेंशन तथा भत्तों से न्यून नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09.09.2020

(जय प्रकाश मंडल)
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–11न०वि० RERA विविध–08/2018 645 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–09/09/2020

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव, विधि विभाग, बिहार/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/माननीय अध्यक्ष, भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/सदस्य, भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/अध्यक्ष, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.09.2020

विशेष सचिव

ज्ञापांक–11न०वि० RERA विविध–08/2018 645/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–09/09/2020

प्रतिलिपि–अधीक्षक सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपया मुद्रित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

09.09.2020

विशेष सचिव

ज्ञापांक–11न०वि० RERA विविध–08/2018 645/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–09/09/2020

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.09.2020

विशेष सचिव

ज्ञापांक–11न०वि० RERA विविध–08/2018 645/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–09/09/2020

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.09.2020

विशेष सचिव

Government of Bihar

Urban Development and Housing Department

Notificaton

No.–11नoविo RERA विविध–08/2018...645.......नoविoआoविo, Patna, Date-09/09/2020

As per the provisions made in the Rule 29(3) of the Bihar Real Estate (Regulation & Development) Rules 2017 the salary, allowance and service conditions of the Chairperson and Members of the Real Estate Appellate Tribunal, is being hereby determined in the following manner :-

(i). During the tenure as the Chairperson of the Bihar Real Estate Appellate Tribunal, in case of being in the regular service, the salary, allowances and other facilities shall be presumptive to his service conditions.

After retirement from the regular service, the salary of the Chairperson of the Tribunal shall be determined on the basis of "Basic pay - Pension", on which dearness allowance laid down by the State Government from time to time shall be applicable. Any other allowances and service conditions shall be similar to the post held at the time of retirement.

Provided, the salary and allowances will not be less than the salary / pension and allowances as admissible against the post held by the Chairperson just before the appointment to the Tribunal.

(ii). During the tenure as the Member of the Bihar Real Estate Appellate Tribunal, in case of being in the regular service, the salary, allowances and others facilities shall be presumptive to his service conditions.

After retirement from the regular service, the salary of the Member of the Tribunal shall be determined on the basis of "Basic pay - Pension", on which dearness allowance laid down by the State Government from time to time shall be applicable. Any other allowances and service conditions shall be similar to the post held at the time of retirement.

Provided, the salary and allowances will not be less than the salary/ pension and allowances as admissible against the post held by the Member just before the appointment to the Tribunal.

By the order of the Governor

09.09.2020

(Jai Prakash Mandal)

Special Secretary

Urban Development and Housing Department.

Memo No.–11नoविo RERA विविध–08/2018 ..../नoविo एवं आoविo, पटना, Date–

Copy to–Chief Secretary, Bihar, Patna/Development Commissioner, Bihar, Patna/Additional Chief Secretary, General Administration Department, Bihar/Principal Secretary, Finance Department, Bihar/Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/Secretary, Law Department, Bihar/Registar General, Hon'ble High Court, Patna/Hon'ble Chairman, Bihar Real Estate Appellate Tribunal, Patna/Member, Bihar Real Estate Appellate Tribunal, Patna/Chairman, Real Estate Regulatory Authority, Bihar/P.S to the Hon'ble Minister, Urban Development and Housing Department, Bihar, Patna/P.S to the Secretary, Urban Development and Housing Department, Bihar, Patna/All Concerned Officers, Urban Development and Housing Department, Bihar for kind information and necessary action.

Sd/- 09.09.2020
Special Secretary

Memo No.–11नoविo RERA विविध–08/2018 645/नoविo एवं आoविo, पटना, Date-09/09/2020

Copy to– Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extraordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of published Gazette to Urban Development and Housing Department, Bihar, Patna.

Sd/- 09.09.2020
Special Secretary

Memo No.–11नoविo RERA विविध–08/2018 645/नoविo एवं आoविo, पटना, Date-09/09/2020

Copy to–Accountant General, Bihar, Virchand Patel Path, Patna for information and necessary action.

Sd/- 09.09.2020
Special Secretary

Memo No.–11नoविo RERA विविध–08/2018 645/नoविo एवं आoविo, पटना, Date-09/09/2020

Copy to–Treasury Officer, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna for information and necessary action.

Sd/- 09.09.2020
Special Secretary